न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2015 (बांसवाड़ा आर्डर)

श्री दलीचन्द पिता हरजी भील निवासी बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री हारेंगा पिता श्री हकरू भील निवासी बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधरी तहसीलदार छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर
बांसवाड़ा दिनांक 23–03–2015 प्रकरण संख्या
02/2014 प्रार्थना पत्र

———/———

उपस्थित (वक्त बहस):– 1. श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री देवेन्द्र निगम अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

——————/——————

निर्णय **दिनांक 06–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर बांसवाड़ा के यहां अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध नियम 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत एक आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 हारेंगा को दिनांक 5–5–1989 को खसरा नंबर 478 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नंबर 483 रकबा 2 बीघा भूमि ग्राम बारी का आवंटन कर आदेश 12–5–1989 को जारी किया गया। उक्त आवंटन गलत है। अपीलान्ट प्रार्थी का उक्त भूमि पर कई वर्षो से काबिज है। आवंटन आदेश की कार्यवाही का कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट प्रार्थी का 22 वर्षो से कब्जा है। आवंटन बिना कमेटी की स्वीकृति के हुआ है। अप्रार्थी के नाम पूर्व से भूमियां है। अप्रार्थी आवंटन की

पात्रता नहीं रखता तथा सद्भावी कृषक नहीं है, आवंटन कागजी है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आराजी नंबर 478 का दो बार आवंटन हुआ है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 अप्रार्थी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर कहा कि आवंटन विधिक रूप से हुआ है। अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा राजनितिक प्रभाव से 3 साल पहले इस भूमि के एक भाग को धोखाधड़ी कर जाली दस्तावेज से मोबाईल टॉवर को गैर–कानूनी रूप से किराये पर दे दी। जिसके विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही में पुलिस द्वारा F. R. लगा देने पर न्यायालय ने अप्रार्थी की प्रोटेस्ट स्वीकार की तथा राजनितिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा को अनुसंधान हेतु भेजी। भूमि विधिवत रूप से आवंटित हेकर खातेदारी प्राप्त होकर, खातेदारी प्राप्त शुदा भूमि में आवंटन निरस्तीकरण चलने योग्य नहीं है। अतिक्रमी का लोकस स्टेण्डाई नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 23–3–2015 से अपीलान्ट प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–4–2015 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र निगम ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से गुणावगुण पर निर्णय करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना कीं।

वकील अपीलान्ट द्वारा लिए गये प्रमुख अपील उजर यह है कि इस भूमि पर उसका पक्का मकान बना हुआ है तथा अन्य निर्माण भी है।

आवंटन बाबत किसी कार्यवाही से कोई साक्ष्य नहीं मिल पाई है। राजस्व अधिकारियों ने उनका कब्जा होना बताया है। फ्रोड एवं मिस–रिप्रजेन्टेशन प्रमाणित है। आवंटियों को खातेदारी अधिकार मिल जाने से प्रकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय, अपील उजरात व बहस पर मनन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि अपीलान्ट 2 प्रमुख आधार लेता है। प्रथम तो यह है कि उक्त भूमि पर वह काबिज है, अतएव आवंटन नहीं किया जा सकता तथा आवंटन गलत है व दूसरा आधार यह लेता है कि आवंटन त्रुटिपूर्ण किया गया है तथा फ्रोड तथा मिस–रिप्रजेन्टेशन है।

→ जहां तक प्रथम आधार का प्रश्न है यह सुस्पष्ट स्थिति है कि आवंटन वर्ष 1989 में किया गया है। उक्त आवंटन के बरूए अपीलान्ट प्रार्थी का कब्जा यदि है तो वह किस हैसियत से है तथा उसका क्या लोकस स्टेण्डाई है। यह उसके द्वारा नहीं बताया गया है। आवंटन अथवा रेकार्ड में प्रविष्टि के 25 वर्षो बाद जबकि आवंटी रेस्पोन्डेन्ट अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार मिल चुके हो, इस दौरान अतिक्रमी बवक्त आवंटन काबिज होकर भूमि अनाधिवासित नहीं हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। अतिक्रमी का उक्त भूमि पर यदि कोई कब्जा हो तो भी उक्त कब्जा विधिक आवंटी जिसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है की तुलना में कदापि विधिक नही है। क्योंकि अतिक्रमी के रूप में उक्त भूमि पर उसके काबिज रहने की कोई विधिकता नहीं है। उसके वर्तमान कब्जे के आधार पर आवंटन खारिज किये जाने का विधिक उपचार विधिक नहीं है। तदनुसार अपीलान्ट का कब्जा होने से 25 वर्ष पुराने खातेदारी प्राप्त आवंटी रेस्पोन्डेन्ट का आवंटन निरस्त नहीं किये जाने का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय उचित है।

अपीलान्ट का द्वितीय उजर यह है कि आवंटन फ्रोड एवं मिस–रिप्रजेन्टेशन से होकर त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है।

→ अपीलान्ट ने इस उजर के लिए जो आधार लिए है वे यह है कि उक्त आवंटन की नकले पत्रावली नहीं मिलने के कारण नही दी गई है। 25 वर्ष पुराने आवंटन की नकलें नहीं मिलने पर 25 वर्षो से राजस्व रेकार्ड

में चली आ रही प्रविष्टि जिसमें विधिवत जांच होने के पश्चात् सामान्यतया खातेदारी अधिकार दिये जाते है, उसे अपीलान्ट के कहने पर संदिग्ध मान लेना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि आवंटन का अविधिक होना अथवा त्रुटिपूर्ण/फ्रोड/मिस–रिप्रजेन्टेशन से होना सिद्ध करने का दायित्व अपीलान्ट का है। इस विवेचानानुसार अपीलान्ट का यह आधार भी पोषणीय नहीं है।

प्रकरण में समग्र तथ्यों को दृष्टीगत रखते हुए हम रेस्पोन्डेन्ट आवंटीगणों के आवंटन को बहाल रखने के अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का आवेदन खारिज किये जाने के सन्दर्भगत अपीलान्ट द्वारा लिए गये विभिन्न अपील उजरात को पोषणीय एवं प्रमाणित नहीं पाते।

अतएव अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–3–2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर